न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 2/2013

दायर दिनांक– 9.1.2013
फैसल दिनांक– 28.3.18

अनवान

1– श्री आजाद खां पिता स्व0हबीबगुल खां मुसलमान
2– श्रीमती खेरून्नीसा पत्नी स्व0श्री हबीबगुल खां मुसलमान निवासीयान गलियाकोट

(वादीगण)

बनाम

1– श्रीमती जेबुन्नीसा पत्नि हमीद हुसैन मुसलमान निवासी आसोडा तहसील गढी
2–श्रीमती शमसुन्नीसा पत्नि न्याजमोहम्मद मुसलमान नि0घाटी चमनपुरा डूँगरपुर
3– राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गलियाकोट
4– श्री अमानउल्ला खान पिता शाहजमान खान (स्व0 मेहरून्नीसा के पति)
5–श्रीमती मुन्तजा बानु उर्फ मुर्तजा बानु पिता अमान्नुल्ला खान(स्व0 मेहरून्नीसा की पुत्री)
6– श्री शेरखान पिता अमान्नुल्ला खान (स्व0 मेहरून्नीसा के पुत्र)
7– श्री शाहीरखान पिता श्री अमान्नुल्ला खान (स्व0 मेहरून्नीसा के पुत्र)
8– श्री सागीरखान पिता श्री अमान्नुल्ला खान (स्व0 मेहरून्नीसा के पुत्र)

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी–श्री मयंक दोसी
वकील प्रतिवादी– ––

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण गांव गलियाकोट के रहने वाले है । वादी संख्या 2 ,वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता है ।वादी संख्या 1 की बहन व वादी संख्या 2 की पुत्री मेहरून्नीसा की मृत्यु हो चुकी है । मेहरून्नीसा व शमसुन्नीसा का विवाह डूँगरपुर में व जेबुन्नीसा का विवाह आसोडा गांव में हुआ है एवं वे अपनी ससूराल में रहती है । यह कि वादीगण स्व0 मेहरून्नीसा ,श्रीमती शमसुन्नीसा ,श्रीमती जेबून्नीसा के पिता व वादी संख्या 2 के पति स्व0 हबीबगुल खां के खाते की मौजा गलियाकोट के वर्तमान खाता नम्बर 679/624 की रकबा 12बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र की कलम संख्या 3 मे है ,थी जो हबीबगुलखां की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 1532 के जरिये उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगण व वादीसंख्या 1 की तीनो बहिनो मेहरून्नीसा व, शमसुन्नीसा व जेबुन्नीसा के नाम से बराबर बराबर हिस्सेदार के रूप में दर्ज की गई जो अवैद्ध है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 मुसलमान होकर सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित होते है ,राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मुस्लिम विधि के तहत स्थापित उत्तराधिकार कानून की अनदेखी कर नामान्तरकरण संख्या 1532 के जरिये वादीगण व वादी संख्या 1 की स्व0 बहन मेहरून्नीसा , शमसुन्नीसा व जेबुन्नीसा को राजस्व रेकार्ड में बराबर बराबर हिस्से के खातेदार के तौर पर दर्ज किया है जो विधि विरूद्ध होकर गैर कानूनी है ।

मुस्लिम विधि अनुसार मौजा मौजा गलियाकोट के वर्तमान खाता नम्बर 679/624 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सुन्नी मुस्लिम विधि अनुसार एक युनीट मानकर उनका हिस्सा 1/8 व वादीगण को शेष भाग 7/8 हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था एवं मेहरून्नीसा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान का स्व0 हबीबगुलखां की सम्पत्ति में कोई हक नही बनता है राजस्व विभाग के द्वारा ऐसा नहीं कर मुस्लिम विधि की अनदेखी की है ।

यह कि वादीगण राजस्व रेकार्ड में हुई त्रूटि को सुधरवाने के एवं अपने आपको उक्त भूमि के 7/8 हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है । वादीगण की ओर से वाद के अन्त में मौजा गलियाकोट के वर्तमान खाता नम्बर 679/624 के कुल खेत 19 रकबा 12बीघा 5 बिस्वा के 7/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित करने ,स्व 0 मेहरून्नीसा का नाम इस खाते से हटाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इसमें एक यूनिट के रूप में 1/8 हिस्सा है इस आशय की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कराने निवेदन किया है ।

वादीगण की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नामान्तरकरण ,जमाबन्दी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । वकील प्रतिवादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं 13सपठित धारा 151जादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र के कम में वकील वादी की ओर से सहमति दी जाने से वकील वादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत किया गया । वकील प्रतिवादी को संशोधित वाद का जवाब प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी संशोधित जवाब प्रस्तुत नही करने एवं दिनांक 29.1.2018 को हाजीर अदालत नही होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर एक पक्षीय साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।वकील वादी की ओर से गवाह अजीमखान के बयान करा साक्ष्य वादी समाप्त करने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए हबीबगुल खां की मृत्यु के बाद गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम व तीनो भूआ के नाम से 1/5 –1/5 हिस्से के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है जबकि सुन्नि मुसलिम विधि के अनुसार पिता व दादी का नाम उक्त खाते की भूमि के 7/8 हिस्से के रूप

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

में दर्ज करना था एवं भुआ का नाम 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था वकील वादी ने गवाह अजिम खान के बयानात से भी उक्त तथ्यो की पुष्ठि होना बताया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी के एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1 जो कि नामान्तरकरण संख्या 1532 की प्रति है , के अनुसार मूल खातेदार हबीबगुल खां के फौत हो जाने के बाद आजादखां, मेरून,शमसून ,जेबून पिता हबीबगुल खां खेरून्नीसा बेबा हबीबगुल खां के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है । इस नामान्तरकरण से जमाबन्दी खाता संख्या 679 में प्रविष्ठि का प्रदर्श – 2 है ।वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि मुस्लिम विधि अनुसार मौजा मौजा गलियाकोट के वर्तमान खाता नम्बर 679/624 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सुन्नी मुस्लिम विधि अनुसार एक युनीट मानकर उनका हिस्सा 1/8 व वादीगण को शेष भाग 7/8 हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था एवं मेहरून्नीसा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान का स्व0 हबीबगुलखां की सम्पत्ति में कोई हक नही बनता है राजस्व विभाग के द्वारा ऐसा नहीं कर मुस्लिम विधि की अनदेखी की है ।वकील वादी ने बहस में यह भी बताया कि वादीगण राजस्व रेकार्ड में हुई त्रूटि को सुधरवाने के एवं अपने आपको उक्त भूमि के 7/8 हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है । वादीगण की ओर से वाद के अन्त में मौजा गलियाकोट के वर्तमान खाता नम्बर 679/624 के कुल खेत 19 रकबा 12बीघा 5 बिस्वा के 7/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित करने ,स्व 0 मेहरून्नीसा का नाम इस खाते से हटाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इसमें एक यूनिट के रूप में 1/8 हिस्सा है इस आशय की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कराने निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम वकील वादी के वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं बहस से सहमत है।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर मोजा गलियाकोट के खाता नम्बर 679/624 कुल खेत 19 रकबा 12बीघा 5बिस्वा के 7/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित कर स्व0 मेहरून्नीसा का नाम इस खाते से हटाया जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एक यूनिट के रूप में 1/8 हिस्सा घोषित कर रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.3.18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा